अभ्युक्ति 6

Bijay Kumar Singh
Vrs
Bablu Kumar Yadav

अनुसूची14 फारम सं. 562

उपायुक्त का न्यायालय, दुमका।

आदेश फलक

देखें अभिलेख हस्तक 1949 का नियम129

आदेश पत्रक ता0............................ से .... तक

जिला. R.M.A सं0 ....17.... सन् 2022-23

केस का प्रकार............................

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ 3.
	यह रे0मि0 अपील वाद, अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के पी0ए0 वाद सं0–38/2016–17 में पारित आदेश दिनांक–21.08.2021 के विरूद्ध दायर किया गया है। **<u>अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।</u>** **अभिलेख में उपलब्ध संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :–** मौजा बुनबुनी अंचल–जरमुण्डी एक प्रधानी मौजा है। मौजा के अंतिम प्रधान भीखलाल महतो थे। उत्तरकारी पूर्व प्रधान भीखलाल महतो के पोता है। इसी आधार पर उन्हें संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–6 के अन्तर्गत मौजा का प्रधान पद पर नियुक्त किया गया है। प्रधान पद पर अपीलकर्त्ता का दावा गेंजर प्रधान के वंशज के आधार पर है। फलस्वरूप उनके आवेदन को निम्न न्यायालय द्वारा खारिज किया गया है। **अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क निम्न प्रकार है :–** अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अपीलकर्त्ता मौजा के गेंजर प्रधान रेतो सिंह के वंशज का है। अंचल अधिकारी द्वारा गलत प्रतिवेदन समर्पित किया गया है कि मौजा का गेंजर प्रधान हुरो महतो थे। अंचल अधिकारी के समर्पित गलत प्रतिवेदन पर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा विचार नहीं किया गया और उत्तरकारी को प्रधान पद पर नियुक्त किया गया है, जो न्याय संगत नहीं है।	

देश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश ओर पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विलापित किया जाय।

अंचल अधिकारी प्रतिवेदन एवं अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश में उल्लेखित तथ्य निम्न प्रकार है :–

अंचल अधिकारी, जरमुण्डी से पत्रांक–183/रा0 दिनांक–19.03.2021 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन में उल्लेख है कि उत्तरकारी मौजा के अंतिम प्रधान भीखलाल महतो के पौता है। अंतिम प्रधान की मृत्यु दिनांक–11.09.16 को हो चुका है। अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा उत्तरकारी को प्रधान पद पर नियुक्त किया गया है।

<u>प्रावधान</u>

Sec-6 Landlord to report the death of village headman. –

When the village headman of a village which is not khas dies the landlord of the village shall report the fact within three months of its occurrence to the Deputy Commissioner with a view to the appointment of a village headman in the prescribed manner.

पुनःश्च Schedule V of the Santal Parganas Tenancy (Supplementary) Rules, 1950 provide for the rules for the appointment of headmen.

"In appointing headmen the following rules should be taken into consideration: The headman must be a resident of the village or his permanent home must be within one mile of the village. The appointments of headmen shall be made in accordance with village customs, and before confirming any appointment, the Deputy Commissioner shall satisfy himself that the candidate is generally acceptable to the raiyats, and an opportunity shall also in every instance, be afforded to the proprietor to object to any candidate."

पुनः यह भी उल्लेख है कि:–

"The office of headman being hereditary, the next heir, who is fitted should be headman."

ठाकुर हेम्ब्रम बनाम बिहार राज्य **1980 BLJR 448: 1980 BLJ 212 (DB)** के वाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह स्थापित किया गया है कि :-

'authorities should have first considered the case of person claiming right to the post of pradhan on the basis of hereditary claim. It was pointed out that the procedure of election under Section 5 comes only after rejecting the hereditary claim.'

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश ओर पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
	पुनः बाबुलाल हेम्ब्रम बनाम बिहार राज्य 1998 (1) PLJR 43 में स्थापित है कि :– *"the headman's duty it is self evident that for any meaningful discharge of those duties, it would be essential for the headman to permanently and regularly reside in the village in question and it would not be possible to discharge those duties satisfactorily in case he lived outside the village on government postings and came to the village only intermittently"* इसी प्रकार से **महिपाल मिश्रा बनाम झारखण्ड राज्य, 2003 2 जे0एल0जे0आर0 275**, के वाद में यह निर्णय दिया गया है कि यदि 'Head Man died then he may leave successor or he may not leave successor and if he does not leave successor then a fresh step under the Rules has to be taken for appointment of a new Head Man. But if he has left some heirs then the question of acceptability of that heir is to be determined as per the Rules. Obvious it is that this acceptability can be ascertained from the will of 2/3 of Jamabandi Raiyats. Rule 3(1) provides that first of all a notice has to be given to 2/3 Raiyats (which ordinarily is called 16 anna raiyats) and if they do not turn up then subsequent notice has to be given and if even thereafter they do not turn up then the Deputy Commissioner will decide the matter rejecting the application made under Section 5.' **इसी प्रकार से Smt. Swarnlata Devi vrs State of Jharkhand and others, 2003 (3) JLJR 724. के वाद में माननीय उच्च न्यायालय के Division Bench द्वारा स्थापित किया गया है कि :–** "**Section-6** refers to the appointment of a Headman of a village which is not a khas village, by providing that on the death of Headman, the same has to be reported within three month of the death to the Deputy Commissioner with a view to appoint a village Headman in the prescribed manner. It is in this context that the clause in Schedule V are relevant and Clause 4 thereof clearly shows that the next of heir of the deceased Headman, unless he is disqualified, shall be the successor Headman of the village. The procedure laid down in Rule 3 of the General Rules is seen to relate to the appointment of Headman on application under section 5 of the Act."	

अनुसूची14 फारम सं. 562

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश ओर पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

पुनः उक्त वाद में यह भी उल्लेखित है कि :–

"**Section-5** relates to the appointment of village Headman of a *khas* village. In the case on hand, the village is not *khas* village. Therefore, the office of the Pradhan, Prima facie, is hereditary in nature and the next heir who is fit, is entitled to be the headman, But Rule 3(5) of the General Rules prescribes that in making the appointment of a Headman under section 5 or 6 of the Act, the Deputy Commissioner shall ,as far as, possible, follow the rules prescribed in Schedule V except where the rules, of which clasue 3 forms a part, expressly or by necessary implication, provides otherwise."

निष्कर्ष

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा के अंतिम प्रधान भीखलाल महतो थे, जिनकी मृत्यु दिनांक– 11.09.2016 को हो चुकी है। उत्तरकारी पूर्व प्रधान भीखलाल महतो के पोता है। प्रधानी पद पर अपीलकर्त्ता का दावा गेंजर प्रधान के आधार पर है। ऐसी स्थिति में तथा वर्णित प्रावधानों के आलोक में उत्तरकारी को निम्न न्यायालय द्वारा संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–6 के अन्तर्गत मौजा का प्रधान पद पर किया गया नियुक्ति प्रथम दृष्टया सही प्रतीत होता है।

आदेश

उपरोक्त उल्लेखित तथ्यों एवं कानूनी प्रावधानों के आलोक में अपीलकर्त्ता के आवेदन को सुनवाई हेतु अंगीकृत किया जाता है तथा अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों को अवलोकन के पश्चात् अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश को सही मानते हुए अपील आवेदन को खारीज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त,
दुमका।

उपायुक्त,
दुमका।

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2022.12.09 17:10:23 +05:30
Location: 169.254.227.244